मुकदमों का विवरण

मेसर्स राजस्थान आर्ट एम्पोरियम बनाम

कुवैत एयरवेज और एएनआर। (2012 की सिविल अपील सं. 9106) नवंबर 09,2023

[ए. एस. बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा**,** जे. जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्देः(i) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता

विवाद निवारण आयोग ने इस तथ्य को दर्ज करने में कोई अवैधता या विकृति की है कि खेप की डिलीवरी में देरी हुई थी।(ii) क्या एन. सी. डी. आर. सी. को हवाई परिवहन अधिनियम, 1972 (हेग प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित) की अनुसूची-III के नियम 22 (2) को ध्यान में रखते हुए विषय खेप के कुल वजन की गणना करके मुआवजे के लिए पूरे दावे की अनुमति नहीं देने के लिए उचित ठहराया गया था।

वायु द्वारा वहन अधिनियम**, 1972-**अपीलार्थी का मामला कि माल प्रत्यर्थी नं**.1** एक विशिष्ट सी अभ्यावेदन पर कि उसे सात दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा**-**हालाँकि**, 40** दिनों से अधिक की देरी हुई थी**-**उत्तरदाता नं।**1** यह तर्क दिया कि समय अनुबंध का सार नहीं था**-**एन**.** सी**.** डी**.** आर**.** सी**.** ने प्रतिवादी नं**. 1** अपीलार्थी**/**शिकायतकर्ता को रु। ब्याज के साथ **20** लाख**-**स्वामित्वः

आयोजित किया गयाःअभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, एन. सी. डी. आर. सी. ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी No.2-agent द्वारा भेजा गया फैक्स संदेश जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा भेजे जाने के लिए खेप बुक की गई थी (24.07.1996) यह दर्शाता है कि माल शिकागो मेम्फिस में 29.07.1996,31.07.1996 और 31.07.1996 पर वितरित किया जाएगा-हालाँकि, जब खेप गंतव्य तक नहीं पहुंची, तो अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने उत्तरदाताओं को सूचित किया, जिसके बाद प्रत्यर्थी नं. 2 ने एक संशोधित अनुसूची प्रदान की, हालांकि, माल संशोधित अनुसूची के अनुसार भी गंतव्य तक नहीं पहुंचा, जिसके अनुसार माल को 06.08.1996 284 पर गंतव्य तक पहुंचना था।

– अभिकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या 2 ने स्वीकार किया था कि बुकिंग के समय, शिकायतकर्ता को माल के आगमन की अस्थायी तिथि के बारे में सूचित किया गया था-एक बार जब अभिकर्ता ने खेप की डिलीवरी के लिए एक समय अनुसूची जारी कर दी है, तो यह नहीं कहा जा

सकता है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि समय पर खेप की डिलीवरी के लिए कोई समझौता नहीं था-प्रत्यर्थी संख्या।1 अपने कार्यालय से उत्पन्न किसी भी संचार में कभी भी यह रुख नहीं अपनाया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इसके एजेंट नहीं हैं या इसके एजेंट द्वारा कोई समझौता या वादा नहीं किया गया था कि खेप 07 दिनों में वितरित की जाएगी-एन. सी. डी. आर. सी. ने इस बात को दर्ज करने में कोई अवैधता या विकृति नहीं की है कि खेप की डिलीवरी में देरी हुई है-खेप की डिलीवरी में देरी से अपीलकर्ता को नुकसान हुआ है-माल प्राप्तकर्ता खेप की डिलीवरी में देरी के लिए हर्जाना मांगने का हकदार है।[पैरा 17,19,20,21]

वायु द्वारा वहन अधिनियम, **1972**-अनुसूची-**III** का नियम **22 (2)**-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, **1986**-धारा **21 (**ए**) (**आई**)**-खेप की डिलीवरी में देरी-एन**.** सी**.** डी**.** आर**.** सी**.** ने प्रतिवादी नं**. 1** अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को रु। ब्याज के साथ **20** लाख-एन**.** सी**.** डी**.** आर**.** सी**.** के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि प्रत्यर्थी सं**.** की लापरवाही के कारण खेप की डिलीवरी में देरी हो रही है, अपीलार्थी/शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया। **1.** विमान द्वारा वहन अधिनियम, **1972** के अनुबंध और वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के अनुसार उचित, न्यायसंगत और उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए:

आयोजित किया गयाःइस अपील में अपीलार्थी की शिकायत मुख्य रूप से इस कारण से है कि एन. सी. डी. आर. सी. ने 2507.5 कि. ग्रा. पर विषय खेप के कुल वजन की गणना करके मुआवजे के लिए पूरे दावे की अनुमति नहीं दी है। अपीलार्थी के अनुसार, वायु परिवहन अधिनियम, 1972 (हेग प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित) की अनुसूची-III के नियम 22 (2) को देखते हुए इस प्रकार गणना की गई राशि रुपये की राशि से अधिक होगी। 20 लाख-हालाँकि, इस बिंदु पर भी, यह न्यायालय एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश को इस कारण से मंजूरी देता है और बनाए रखता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 (ए) (आई) के अंतर्गत अपनी शिकायत में, शिकायतकर्ता/अपीलार्थी ने 5 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की है। केवल व्यवसाय और प्रतिष्ठा के नुकसान के मुआवजे के रूप में 20 लाख-यह एक सामान्य विधि है कि एक पक्ष राहत मांगने का हकदार नहीं है जिसके लिए उसने प्रार्थना नहीं की है।[पैरा 24] 285

मेसर्स राजस्थान आर्ट एम्पोरियम बनाम कुवैत एयरवेज

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

दिलावरी निर्यातक बनाम अलीतालिया कार्गो और अन्य। (2010) 5 एससीसी 754: [2010]

4 एस. सी. आर. 927-पर निर्भर।

मुबारक हो।ट्रोजन एंड कंपनी बनाम। RM.N.N. नागप्पा चेट्टियार एयर 1953 एससी 235:[1953] एससीआर 789; कृष्ण प्रिया गांगुली आदि।बनाम विश्वविद्यालय

लखनऊ और ओआरएस। ए. आई. आर 1984 एस. सी. 186:[1984] 1 एस. सी. आर. 303; ओम प्रकाश और

ओआरएस। बनाम राम कुमार और अन्य। ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 409; भारत अमृतलाल कोठारी बनाम दोसुखन समाधान सिंधी और अन्य। आकाशवाणी 2010 एससी 475:[2009] 15 एससीआर 662; मनोहर लाल (मृत) एलआरएस द्वारा। बनाम उग्रसेन (मृत) एलआरएस द्वारा। & ओआरएस। 2010

(11) एससीसी 557:[2010] 7 एस. सी. आर. 346-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2012 की सिविल अपील No.9106।1997 की मूल याचिका No.229 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 1.10.2012 के निर्णय और आदेश से।

सह

2012 की सिविल अपील No.9194।

रूपः

विवेक सूद, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिनेश सभरवाल, ब्रज के मिश्रा, सुश्री अपर्णा झा, सुश्री हिमानी भटनागर, अभिषेक यादव, रुचित मोहन, ध्रुबजीत सैकिया, सुश्री रसनीत कौर, सुश्री मधुरिमा तातिया, एस. सी. बिड़ला, सुब्रत बिड़ला, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे।

ये दोनों अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं।

1 (संक्षेप में 'एन. सी. डी. आर. सी.')

01.10.2012 1997 की मूल याचिका सं. 229 में, जिसके तहत अपीलार्थी/शिकायतकर्ता के नेतृत्व में शिकायत का निपटारा प्रत्यर्थी सं. 1 अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को 500750

अमेरिकी डॉलर या रु। 20 लाख कम है और 9 प्रतिशत प्रति वर्ष मुआवजे के साथ 31.07.1996 से इसकी प्राप्ति तक प्रभावी है।

2. अपीलार्थी/शिकायतकर्ता का मामला यह है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों को सभी प्रकार के हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यातक है। अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को मैसर्स विलियम्स सोनोमा इंक. यू. एस. ए. से हस्तशिल्प वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक आदेश प्राप्त हुआ था।तदनुसार, अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को तत्काल आधार पर 26,859.5 किलोग्राम वजन के 1538 पैकेजों के तीन शिपमेंट भेजने थे, जिसे उत्तरदाताओं को विशेष रूप से सूचित किया गया था।22.07.1996 पर, माल की निविदा प्रत्यर्थी नं. 1 प्रत्यर्थी सं। 2 यह आश्वासन मिलने के बाद कि शिपमेंट 7 दिनों के भीतर मेम्फिस में गंतव्य तक पहुंच जाएगा और डिलीवरी अनुसूची अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को सौंप दी गई थी।कार्यक्रम के अनुसार, पूरी खेप को 31.07.1996 द्वारा मेम्फिस पहुंचने वाला था।

3. खेप वितरण कार्यक्रम के अनुसार मेम्फिस (यू. एस. ए.) में गंतव्य तक नहीं पहुंची। पूछताछ पर, प्रतिवादी नं। 1 ने अपीलार्थी को प्रदान की गई डिलीवरी अनुसूची के अनुसार खेपों को वितरित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और 05.08.1996 पर एक संशोधित डिलीवरी अनुसूची दी गई, जिसमें 06.08.1996 पर डिलीवरी की तारीख का उल्लेख किया गया था।हालांकि, संशोधित वितरण कार्यक्रम के अनुसार भी खेप गंतव्य तक नहीं पहुंची।4. माल प्राप्त न होने पर, माल प्राप्तकर्ता ने 23.08.1996 दिनांकित एक पत्र भेजकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और शिकायतकर्ता को सूचित किया कि माल कुल मिलाकर प्राप्त नहीं किया गया है, और प्रतिवादी नं। 1 यह बताने में असमर्थ था कि शेष डिब्बे कहाँ हैं।

5. यह भी रिकॉर्ड में है कि लुफ्थांसा के पास 69 डिब्बे पड़े हुए थे।प्रत्यर्थी नं। 1, उत्तरदाता सं. 1 को संबोधित अपने दिनांकित 30.08.1996 पत्र द्वारा। 2, छोटी डिलीवरी स्वीकार की। 07.09.1996 पर, अपीलार्थी/शिकायतकर्ता ने उत्तरदाताओं के खिलाफ पूर्ण माल की वापसी के लिए एक मामूली दावा किया।उक्त दावे के जवाब में, प्रत्यर्थी नं। 2 ने 288 डिब्बों में से 104 डिब्बों को कम समय में वितरित किया, लेकिन यह नहीं बताया कि अन्य डिब्बे गंतव्य पर पहुंच गए हैं या नहीं।अपीलार्थी ने उत्तरदाताओं को 04.08.1997 दिनांकित कानूनी नोटिस दिया, जिसका कोई जवाब नहीं मिला।

6. अंततः, अपीलार्थी/शिकायतकर्ता ने एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष इस प्रार्थना के साथ शिकायत दर्ज कराई कि प्रत्यर्थी नं. 1 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया जाए। 24,48,345-खेपों के लिए उचित शुल्क होने के नाते; रुपये की राशि का भुगतान करें। व्यवसाय और प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये; कम समय में वितरित माल के मूल्य के रूप में अमेरिकी डॉलर का भुगतान करें; 18 प्रतिशत की दर से

ब्याज के साथ-साथ मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करें, जिसे ऊपर बताए गए अनुसार निपटाया गया था।इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

7. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी द्वारा 24.07.1996 पर बुक किए गए शिपमेंट, जिन्हें 31.07.1996 द्वारा वितरित किया जाना था, केवल सितंबर, 1996 के महीने में 40 दिनों से अधिक की देरी के साथ 03.09.1996 से 12.09.1996 तक प्रेषक के हैंडलिंग एजेंट को वितरित किए गए थे।

8. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि माल की निविदा प्रत्यर्थी नं. 1 एक विशिष्ट ग प्रतिनिधित्व पर कि उसे सात दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा, इसलिए, समय पक्षों के बीच अनुबंध का सार है।इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि हाथ में मामले में, रिकॉर्ड पर सामग्री से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नहीं। 1 अपीलार्थी को अपनी सेवाएँ देने में अत्यधिक लापरवाही की है।

9. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक बार जब एन. सी. डी. आर. सी. इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि प्रतिवादी संख्या की लापरवाही के कारण खेप की डिलीवरी में देरी होती है। 1, उचित, न्यायसंगत और उचित मुआवजा अनुबंध की शर्तों और विमान द्वारा वहन अधिनियम, 1972 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील नं। 1 ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं. द्वारा प्रदान की गई सेवा में कोई अवज्ञा नहीं थी।1. गाड़ी के अनुबंध के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करने में सभी उचित देखभाल का निर्वहन लगन से किया गया था।वह प्रस्तुत करेगा कि जिस समय तक माल को अपने गंतव्य तक पहुंचना था, उसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए थे, इसलिए, समय पक्षों के बीच किए गए अनुबंध का सार नहीं था।

11. विद्वान वकील अगला प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थी नहीं। 1 को सेवा में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद, अपीलकर्ता ने कुवैत एयरवेज के माध्यम से खेप भेजी, जिसके कुवैत, शिकागो और मेम्फिस में विभिन्न पड़ाव हैं, जिसमें खेप देने में बहुत समय लगेगा।

12. विद्वान वकील अंत में प्रस्तुत करते हैं कि एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा दिया गया मुआवजा अत्यधिक, अन्यायपूर्ण और अनुचित है और अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है।

13.हमने अपीलार्थी के साथ-साथ उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।14. प्रारंभ में, एन. सी. डी. आर. सी. ने 21.05.2003 पर एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि 1822 किलोग्राम के बराबर 104 टुकड़ों की एक छोटी डिलीवरी हुई है। इसलिए, विमान द्वारा वहन अधिनियम के नियम 22 को ध्यान में रखते हुए, इस भार को 20 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से गुणा करने पर, देय राशि 36440 अमेरिकी डॉलर हो जाती है जो प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता को माल के नुकसान के लिए देय हो जाती है।इस राशि का भुगतान प्रत्यर्थी द्वारा 01.10.1996 से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया गया था।जहाँ तक खेप पहुँचाने में देरी से संबंधित मुद्दे का संबंध है, एन. सी. डी. आर. सी. ने पाया कि प्रतिवादी No.1-Kuwait एयरवेज से किसी विशेष तिथि तक माल पहुँचाने का वादा करने वाले किसी भी संचार के अभाव में, शिकायतकर्ता द्वारा माल पहुँचाने में देरी के बारे में उठाई गई याचिका पोषणीय नहीं है।15. एन. सी. डी. आर. सी. के दिनांकित 21.05.2003 के उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए, शिकायतकर्ता ने C.A.No वाली सिविल अपील को प्राथमिकता दी। 2003 का 8211 जिसे इस न्यायालय द्वारा 15.03.2011 पर अनुज्ञात गई थी।इस न्यायालय ने कहा कि माल की डिलीवरी में देरी से संबंधित मुद्दे का फैसला एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य की सराहना किए बिना किया गया है।नतीजतन, मामला वापस एन. सी. डी. आर. सी. को शिकायतकर्ता मामले के नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया गया था ताकि खेप की डिलीवरी में देरी हो सके।

16. रिमांड के बाद, वर्तमान आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि खेप को समय पर पहुँचाने में देरी हुई थी, जिसके लिए शिकायतकर्ता 25037.5 किलोग्राम के मुआवजे का हकदार है. जिसे 20 किलोग्राम अमेरिकी डॉलर से गुणा किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा 20 लाख रुपये का दावा किया गया था, इसलिए शिकायतकर्ता केवल 5 लाख रुपये के मुआवजे का हकदार था। 9 प्रतिशत डब्ल्यू. ई. एफ. 31.07.1996 के ब्याज के साथ 20 लाख रुपये की राशि की प्राप्ति के साथ-साथ मुकदमेबाजी के शुल्क और उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में रु। 5 लाख।17. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, एन. सी. डी. आर. सी. ने माना है कि प्रत्यर्थी No.2-agent द्वारा भेजा गया फैक्स संदेश, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा भेजे जाने के लिए खेप बुक की गई थी, 289 पर जाता है।

मेसर्स राजस्थान आर्ट एम्पोरियम बनाम कुवैत एयरवेज प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.

दिखाएँ कि सामान शिकागो मेम्फिस में 29.07.1996,31.07.1996 और 31.07.1996 पर डिलीवर किया जाएगा।हालाँकि, जब खेप गंतव्य तक नहीं पहुंची, तो अपीलकर्ता-मेसर्स राजस्थान आर्ट एम्पोरियम ने उत्तरदाताओं को सूचित किया, जिसके बाद उत्तरदाता नं। 2 ने एक संशोधित अनुसूची प्रदान की, हालांकि, माल संशोधित अनुसूची के अनुसार भी गंतव्य तक नहीं पहुंचा, जिसके अनुसार माल को 06.08.1996 पर गंतव्य तक पहुंचना था।

18. अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि शिपमेंट के हिस्से मेम्फिस में 30.08.1996 पर प्राप्त हुए थे जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने दिनांकित 24.09.1996 पत्र में स्वीकार किया था।शिकायतकर्ता और उसके खरीदार के बीच व्यावसायिक संबंध दिखाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए, एन. सी. डी. आर. सी. यह देखेगा कि खरीदार शिकायतकर्ता का सबसे बड़ा ग्राहक था।इस प्रकार, शिकायतकर्ता को लेन-देन के कारण भारी नुकसान हुआ है और माल सितंबर, 1996 के पहले सप्ताह में प्राप्त हुआ था।

19. हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन और जांच की है और हमें संतोष है कि एन. सी. डी. आर. सी. ने इस तथ्य को दर्ज करने में कोई अवैधता या विकृति नहीं की है कि खेप की डिलीवरी में देरी हुई थी।वास्तव में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जो खेप 24.07.1996 पर बुक की गई थी, वह डेढ़ महीने के बाद यानी 03.09.1996 से 12.09.1996 तक पहुंचाई गई थी।

20. एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष अपने जवाब में, एजेंट-प्रतिवादी संख्या 2 (डग्गा एयर एजेंट) ने स्वीकार किया कि बुकिंग के समय, शिकायतकर्ता को 31.07.1996 द्वारा मेम्फिस में माल के आगमन की अस्थायी तिथि के बारे में सूचित किया गया था और उसके बाद शिकायतकर्ता को एक संशोधित अनुसूची भी दी गई थी।एक बार जब एजेंट माल की डिलीवरी के लिए एक समय सारिणी जारी कर देता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि माल की डिलीवरी के लिए समय पर कोई समझौता नहीं हुआ था।उत्तरदाता नं।1 – कुवैत एयरवेज ने अपने कार्यालय से उत्पन्न किसी भी संचार में कभी भी यह रुख नहीं अपनाया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इसके एजेंट नहीं हैं या इसके एजेंट द्वारा कोई समझौता या वादा नहीं किया गया था कि खेप 07 दिनों में वितरित की जाएगी।एन. सी. डी. आर. सी. ने ठीक ही कहा है कि अपीलकर्ता ने हवाई माल ढुलाई का भुगतान किया है जो समुद्री माल ढुलाई की तुलना में दस गुना अधिक है, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि खेप एक सप्ताह के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंचे क्योंकि समुद्री माल ढुलाई में 25 से 30 दिन लग जाते और अपीलकर्ता ने जल्दी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए इतने बड़े माल ढुलाई शुल्क का भुगतान किया है, इसलिए डिलीवरी में देरी 290 है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

माल की खेप ने अनिवार्य रूप से अपीलार्थी को नुकसान पहुँचाया है जो प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी है जैसा कि वायु द्वारा वहन अधिनियम 1972 की धारा 19 और 13 (3) के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

21. वायु द्वारा वहन अधिनियम 1972 की धारा 19 और 13 (3) में निहित प्रावधान इस प्रकार हैं:

“19. यात्रियों, सामान या सामान की उड़ान में देरी से होने वाले नुकसान के लिए वाहक उत्तरदायी है। "

“13 (3).यदि वाहक माल के नुकसान को स्वीकार करता है, या यदि माल उस तारीख के सात दिन की समाप्ति पर नहीं आया है जिस दिन उन्हें आना चाहिए था, तो प्रेषक वाहक के खिलाफ उन अधिकारों को लागू करने का हकदार है जो परिवहन के अनुबंध से देय हैं।” उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर, माल प्राप्तकर्ता माल की डिलीवरी में देरी के लिए हर्जाने की मांग करने का हकदार है।यह प्रतिवादी संख्या 1 का मामला नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने एजेंसी की शर्तों से परे काम किया था।न ही यह माना जाता है कि प्रत्यर्थी नहीं।2 प्रतिवादी संख्या 1 का अभिकर्ता नहीं था।

22. अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 186 में प्रावधान है कि एक एजेंट का अधिकार व्यक्त या निहित किया जा सकता है।इसी तरह, अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 188 में निर्धारित किया गया है कि एक एजेंट, जिसके पास कोई कार्य करने का अधिकार है, को ऐसा कार्य करने के लिए आवश्यक हर वैध कार्य करने का अधिकार है।

दिलावरी एक्सपोर्टर्स बनाम अलीतालिया कार्गो एंड ओआरएस। **2** इस न्यायालय ने कहा है कि

पैराग्राफ 17 से 20 इस प्रकार हैः- “17. अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 186 (संक्षेप में "अनुबंध अधिनियम") में कहा गया है कि किसी अभिकर्ता का अधिकार व्यक्त या निहित किया जा सकता है।अनुबंध अधिनियम की धारा 187 के अनुसार, एक प्राधिकरण को व्यक्त किया जाता है जब इसे बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा दिया जाता है, और एक प्राधिकरण को निहित कहा जाता है जब इसे मामले की परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना है; और बोली गई या लिखित चीजें, या व्यवहार की सामान्य प्रक्रिया, जो मामले की परिस्थितियों को गिना जा सकता है।

18. अनुबंध अधिनियम की धारा 188 में निर्धारित किया गया है किः

2 (2010) 5 एससीसी 754 291

मेसर्स राजस्थान आर्ट एम्पोरियम बनाम कुवैत एयरवेज प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.

“188. अभिकर्ता के अधिकार का विस्तार।—एक एजेंट, जिसके पास एक कार्य करने का अधिकार होता है, के पास ऐसा कार्य करने के लिए आवश्यक हर वैध कार्य करने का अधिकार होता है। "

19. अनुबंध अधिनियम की धारा 237 में प्रावधान है किः“237. इस विश्वास को प्रेरित करने वाले प्रमुख की देयता कि एजेंट के अनधिकृत कार्य अधिकृत थे।—जब कोई अभिकर्ता, बिना किसी अधिकार के, अपने प्रधान की ओर से तीसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है या दायित्व निभाता है, तो प्रधान ऐसे कार्यों या दायित्वों से बाध्य होता है यदि उसने अपने शब्दों

या आचरण से ऐसे तीसरे व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि ऐसे कार्य और दायित्व एजेंट के अधिकार के दायरे में थे। "

20. इस बात का कोई खंडन नहीं है कि यह दिखाने की जिम्मेदारी कि एक एजेंट द्वारा किया गया कार्य उसके अधिकार या उसके द्वारा आयोजित या प्रयोग किए गए प्रत्यक्ष अधिकार के दायरे में था, प्रिंसिपल के खिलाफ दावा करने वाले व्यक्ति पर है।यह, निश्चित रूप से, अभ्यास के साथ-साथ एक लिखित उपकरण द्वारा भी दिखाया जा सकता है।इस प्रकार, विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या तत्काल मामले में प्राप्त साक्ष्य पर, क्या यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी 3 के पास प्रत्यर्थी 1 की ओर से उनके एजेंट के रूप में कार्य करने का एक स्पष्ट या निहित अधिकार था?यदि प्रत्यर्थी 3 के पास ऐसा अधिकार था, तो स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी 1 अपीलार्थी के प्रति प्रत्यर्थी 3 द्वारा की गई प्रतिबद्धता से बाध्य था। "

23. हाथ में मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक याचिका के अभाव में, कि प्रतिवादी नहीं। 2 इसका एजेंट नहीं था या उसके पास खेप की डिलीवरी की अनुसूची देने का कोई अधिकार नहीं था, जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया है।इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने एजेंट-प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किए गए वादे से बाध्य है कि माल एक सप्ताह के भीतर वितरित किया जाएगा और जब समय सीमा समाप्त हो जाएगी और माल वास्तव में डेढ़ महीने के बाद वितरित किया गया था, तो माल की डिलीवरी में लापरवाही से देरी हुई थी।24. इस अपील में अपीलार्थी की शिकायत मुख्य रूप से एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा 2507.5 कि. ग्रा. पर विषय खेप के कुल वजन की गणना करके मुआवजे के लिए पूरे दावे की अनुमति नहीं देने के कारण है। अपीलार्थी के अनुसार, हवाई परिवहन अधिनियम, 1972 (हेग प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित) की अनुसूची-III के नियम 22 (2) को देखते हुए इस प्रकार गणना की गई राशि रु। 20 292

/

[2023] 14 एस सी आर।

एक लाख।इस प्रकार अपीलार्थी 50070 अमेरिकी डॉलर के समतुल्य पूरी राशि का दावा करेगा, बिना इसे 500 करोड़ रुपये तक सीमित किए। 20 लाख।हालाँकि, इस बिंदु पर भी, हम एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश को इस कारण से स्वीकार करते हैं और बनाए रखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 (ए) (आई) के अंतर्गत अपनी शिकायत में, शिकायतकर्ता/अपीलार्थी ने 5 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की है। केवल व्यवसाय और प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 20 लाख।यह एक तुच्छ विधि है कि एक पक्ष राहत मांगने का हकदार नहीं है जिसके लिए उसने प्रार्थना नहीं की है।इस प्रस्ताव के लिए हम मेरर्स में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं।ट्रोजन एंड कंपनी

बनाम। **RM.N.N.** नागप्पा चेट्टियार **3,** कृष्ण प्रिया गांगुली आदि।बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य **4.,** ओम प्रकाश और ओआरएस। बनाम राम कुमार और अन्य **5.,** भारत अमृतलाल कोठारी बनाम दोसुखन समाधान सिंधी और

ओआरएस 6., एलआरएस द्वारा मनोहर लाल (मृत)। बनाम। उग्रसेन (मृत) एल. आर. एस. और ओआरएस. 7.

25. पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और परिणामस्वरूप दोनों दीवानी अपीलें होने के योग्य हैं और एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान

3 ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 235 4 ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 186,5 ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 409 6 ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 475 7 2010 (11) एस. सी. सी. 557